

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 59/2019

आर.सी.एम.एस. : 2019/00191

अपीलान्त	बनाम	रेस्पोंडेन्ट :-
तहसीलदार (भूमिधारी) सोजत	राजस्थान सरकार	जरिये जिला कलक्टर, पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

अपीलान्त उपस्थित

रेस्पोंडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित

-: निर्णय :-

दिनांक:- 24.10.2019

अपीलान्त ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम बागावास के नामान्तरकरण संख्या 1871 तहसीलदार (भू.अ.), सोजत द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.06.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्त ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम बागावास के खसरा नम्बर 1210/1 रकबा 1.4530 हैक्टेयर किस्म बारानी अब्बल राजस्व रेकॉर्ड में श्रीमती कौशल्या पत्नी मोहनलाल टांक की खातेदारी भूमि थी। उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 (वर्तमान में 162) के फोरलाईन परियोजना के अन्तर्गत आने से तथा इसमें से कुछ भूमि सड़क की सीमा में होने के कारण अवाप्त की गई, इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी, भूमि अवाप्ति पाली के आदेश क्रमांक/एनएचएआई/भूमि अवाप्ति/11/352 दिनांक 17.10.2011 एवं तहसीलदार सोजत के आदेश क्रमांक/एल आर/11/2019 दिनांक 24.10.2011 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1268 दिनांक 10.11.2011 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के नाम दर्ज किया गया था तथा उक्त भूमि का मुआवजा जारी किया गया। उक्त आराजी का पटवारी हल्का बागावास द्वारा सहवन से पुनः नामान्तरकरण संख्या 1871 दर्ज कर दिया गया, जो तहसीलदार (भू.अ.) सोजत ने आदेश दिनांक 09.06.2017 के द्वारा पारित कर दिया, जो काबिल निरस्त है। चूंकि दोनों ही नामान्तरकरण एक ही आराजी के होने से पश्चातवृत्ती नामान्तरकरण संख्या 1871 को खारिज फरमाने का आदेश प्रदान करावे। अपीलान्त को दिनांक 25.09.2019 को राजस्व रेकॉर्ड की जांच के दौराने जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 1871 के संबंध में जानकारी होने से, उन्होंने अपील अन्दर म्याद पेश की है, जिसे जानकारी से अन्दर म्याद शुमार कराने का निवेदन किया।

सरकारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि दोनों ही नामान्तरकरण एक आराजी के समान रकबे के दर्ज किए गए हैं तथा यह सहवन से हुई गलती के कारण


 अति. जिला कलक्टर, पाली

से हुआ है। जिससे पश्चातवृत्ती नामान्तरकरण का कोई औचित्य नहीं रह जाने से नामान्तरकरण संख्या 1871 को खारिज फरमाया जावे तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

उभयपक्ष की बहस प्रर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली संलग्न नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया। अपील अपीलाण्ट में एक ही आराजी के सहवन से दो नामान्तरकरण दर्ज हो जाने से म्याद का बिन्दु आड़े नहीं आता है। अपीलाण्ट को जैर अपील नामान्तरकरण के संबंध में जानकारी दिनांक 25.09.2019 को होने से उन्होंने अपील एक माह के भीतर ही न्यायालय में पेश कर दी है तथा जैर अपील नामान्तरकरण से किसी के भी हक-हकूक प्रभावित नहीं होने से अपील को जानकारी से अन्दर म्याद शुमार स्वीकार की जाती है। ग्राम बागावास के खसरा नम्बर 1210/1 रकबा 1.4530 हैक्टेयर किस्म बारानी अब्बल राजस्व रेकर्ड में श्रीमती कौशल्या पत्नी मोहनलाल टांक की खातेदारी भूमि थी। उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 (वर्तमान में 162) के फोरलाईन परियोजना के अन्तर्गत आने से तथा इसमें से कुछ भूमि सड़क की सीमा में होने के कारण अवाप्त की गई, इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी, भूमि अवाप्ति पाली के आदेश क्रमांक/एनएचएआई/भूमि अवाप्ति/11/352 दिनांक 17.10.2011 एवं तहसीलदार सोजत के आदेशक्रमांक/एल आर/11/2019 दिनांक 24.10.2011 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1268 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के नाम दर्ज किया गया था, लेकिन तहसीलदार (भू.अ.) सोजत ने पुनः उसी आराजी का एक नया नामान्तरकरण संख्या 1871 दिनांक 09.06.2017 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के नाम दर्ज कर दिया। जो प्रथम दृष्टया ही एक शून्य नामान्तरकरण है। पत्रावली संलग्न ना. संख्या 1268 एवं ना. संख्या 1871 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ना. संख्या 1871 मात्र हल्का पटवारी एवं तहसीलदार सोजत द्वारा सहवन से ही दर्ज किया गया है तथा जब एक बार नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया तथा उक्त आराजी का मुआवजा जारी कर दिया गया हो, तो पुनः उसी अवाप्तसुदा आराजी का दुबारा नामान्तरकरण भरा जाना Null & Void होने से काबिल निरस्त है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 1871 को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार (भू.अ.) सोजत द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1871 दिनांक 09.06.2017 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार सोजत को प्रेषित की जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 24.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलक्टर, पाली

